



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2009/फाल्गुन 7, 1930

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009/PHALGUNA 7, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

का.आ. 559(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 24 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1542(अ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त अधिसूचना के शीर्षक 'संशोधन' के नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

“भू-उपयोग परिवर्तित

- (i) आंतरिक रोड सरकुलेशन सहित सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (लिवर और बाइलियरी विज्ञान संस्थान) 6.20 हैक्टेयर
- (ii) मनोरंजन (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) 0.30 हैक्टेयर”

[सं. के-13011/24/2005-डीडी 1 बी]

पी. के. सान्त्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 2009

S.O. 559(E).— Attention is invited to Notification No. S.O. 1542 (E) dated 24th June, 2008 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of Gazette of India, Extraordinary. In the said Notification, Column 4 in the table under heading 'Modification', shall be corrected to read as under :—

“Land use changed to

- (i) Public and Semi-Public Facilities (Institute of Liver & Biliary Sciences) including internal road circulation 6.20 ha
- (ii) Recreational (Sports Complex) 0.30 ha”

[No. K-13011/24/2005-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.